



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र०क० R 1/16 निगरानी

R- 3764-I/16

श्रीमान राजस्व मण्डल
द्वारा आज दि. 2/11/16 को
प्रस्तुत
सुलभ ऑफिस नं० 16
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
405
2-11-16

ज्वाला प्रसाद पुत्र नेकसें जाति ब्राह्मण निवासी कुम्हरपुरा मौजा रछेड हाल निवासी तहसील के बगल से अम्बाह तह० अम्बाह जिला मुरैना म०प्र०आवेदक

बनाम

1-शिवनारायण पुत्र नेकसें

2-रामकिशोर 3-अशोक पुत्रगण रामदयाल

जाति ब्राह्मण निवासी कुम्हरपुरा मौजा रछेड हाल निवासी तहसील के बगल से अम्बाह तह० अम्बाह जिला मुरैना म०प्र०

.....अनावेदक

श्रीमान
2/11/16

निगरानी आदेश विरुद्ध आदेश दिनांक 13/10/2016

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय पोरसा के प्र०क०

23/15-16×अ/27नि० अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा० संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है -

1- यह कि कृषि भूमि सर्वे क्र० 396 रकवा 0.06, सर्वे क्र० 306 रकवा 0.23, सर्वे क्र० 308 रकवा 0.03, सर्वे क्र० 317 रकवा 0.52, सर्वे क्र० 319 रकवा 0.19, सर्वे क्र० 349 रकवा 0.71, सर्वे क्र० 1314 रकवा 0.62, सर्वे क्र० 2251 रकवा 0.13 है० भूमि मौजा रछेड तह० पोरसा जिला मुरैना में स्थित है। आवेदक व अनावेदक सह स्वामी होकर स्वामी व आधिपत्यधारी है।

2- यह कि अनावेदक द्वारा उक्त भूमि के बटबारा हेतु आवेदन पत्र धारा 178 म०प्र०भू०रा० संहिता के अन्तर्गत तहसील पारेसा में प्रस्तुत किया जो प्र०क० 23/15-16×अ/27 पर पंजीबद्ध किया जाकर आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया।


3- यह कि आवेदक द्वारा मूल आवेदन का जबाब प्रस्तुत किया साथ ही यह आपत्ति प्रस्तुत की कि अवेदक व अनावेदक के मध्य अन्य सम्पत्ति भी सह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3764-एक/16

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-18 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> <p style="text-align: center;">3</p>	